राजस्थान–सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ04()एमएनजेवाई/2014–15/ 93 दिनांकः 9-6-14

अतिमहत्वपूर्ण

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
संबंधित खण्ड मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी।

विषयः–निशुल्क जांच योजनान्तर्गत की जा रही ई–औषधि सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन रिर्पोटिंग के संबंध में।

संदर्भः–श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय के ईमेल दिनांक 2.5.2014 एवं 15.05.2014 तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता के आदेश क्र0 53–56 दि0 9.5.14, क्र0 62 दि0 20.05.14 क्र0 86 दि0 2.6.14 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय के निर्देशानुसार उन चिकित्सा संस्थान के प्रभारियों को मीटिंग हेतु बुलाया गया था, जो मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत की जाने वाली जांचों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 06.06.2014 को तृतीय मीटिंग आयोजित की गई थी। परन्तु संलग्न सूचीनुसार चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी अनुपस्थित रहे, दिनांक 13.06.2014 को प्रातः 10:00 बजे पुनः एवं अन्तिम बैठक आयोजित की जानी है एवं जिसमें संलग्न सूचीनुसार चिकित्सा अधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करे।

यदि किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है तो उन्हें पुनः निर्देशित करे कि

1. JSSY, RNTCP (Sputum), MP, Blood sugar, Urine for pregnancy हेतु की जाने वाली जांचों का इन्द्राज निशुल्क जांच योजना अन्तर्गत ही किया जाना है।
2. यदि किसी संस्थान द्वारा कहा जा रहा है कि वहां किसी भी प्रकार की निशुल्क जांचें नहीं की जा रही तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी/ब्लॉक सीएमएचओ/सीएमएचओ निशुल्क जांचें नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अतः प्रातः 10:00 बजे निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के मीटिंग हॉल में दिनांक 13.06.2014 को पुनः एवं अन्तिम आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करें अथवा चिकित्सा संस्थानों पर निशुल्क जांचें नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ04( )/एमएनजेवाई/2014/ 93 दिनांक : 9-6-14

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एव स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर